न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 65/2014 **दायरा दिनांक : 21.02.2014**

उनवान

भैरूलाल आत्मज जगन्नाथ, जाति माली, निवासी खमावदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— कजोडलाल आत्मज नन्दा, जाति माली, निवासी खमावदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— पुष्पाबाई आत्मज नन्दा, जाति माली, निवासी खमावदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— किशोर बाई आत्मज नन्दा, जाति माली, निवासी खमावदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड

5— सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 398/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 54, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम डोल्याखेडी, तहसील खानपुर में खाता संख्या 54 की खसरा नम्बर 99 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 16 बीघा 18 बिस्वा आराजी स्थित है जिसमें वादी और प्रतिवादी नम्बर 1 सहखातेदार है । शामलाती खाते में आराजी रहने से विकास कार्य में बाधा आती है । अतः दावा वादी स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.01.2014 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने काउंटर क्लेम पेश कर यह कथन किया था कि वादीगण के पिता द्वारा 12 वर्ष से अधिक समय से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं किया है । अतः उनके अधिकार समाप्त हो चुके हैं । आराजी पर कब्जा प्रतिवादी का बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है । 75 वर्ष से यह कब्जा निर्विघ्न चला आ रहा है । अतः खातेदार घोषित किया जाये । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम को खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य एवं उठाये गये तर्कों पर विचार नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलांट का है । अपीलांट ने काउंटर क्लेम पेश किया था जिसको दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया था फिर भी काउंटर क्लेम खारिज किया है । रेस्पोडेंट के कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न नकल जमाबंदी एक्जीविट पी–1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ, नन्दा वल्द प्रताप के संयुक्त खाते में दर्ज है और नन्दा के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है । इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रेकार्ड सलंग्न किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । वादीगण ने संयुक्त खाते में दर्ज आराजी के विभाजन की प्रार्थना की है । प्रतिवादी अपीलांटगण ने काउंटर क्लेम में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा मुखालफाना है । 75 वर्ष से उनका कब्जा है । वादीगण के अधिकार समाप्त हो चुके हैं परन्तु संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के विपरीत नहीं होता है वरन उनकी ओर से ही माना जाता है और वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय के अनुसार कृषि भूमि में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि

सम्मत रूप से वादीगण का दावा स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा